बैंकगि व्यवस्था में बदलाव का नया दौर

भूमकि

बेल-आउट्स के माध्यम से सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation of public sector banks - PSBs) (यह बैंकों के बजटीय आवंटन या कसिी प्रकार के सीमति अवधकि बॉण्ड इश्यू करने संबंधी मुद्दे होते हैं) करने के वषिय में एक बार फरि से चर्चा शुरू हो गई है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) लाया गया है। इस संहति को उधारकर्त्ता कंपनयिों द्वारा उधार न चुकाने के संबंध में पर्याप्त सज़ा के रूप में उद्धृत कयिा गया है।

प्रमुख बदि

- इस संहति के तहत, संकल्प प्रक्रयिा के द्वारा बैंकों को थोड़ी राहत भी प्रदान की गई है, क्योंकि डीफाल्टइंग बोर्रोवर कंपनयिों (Defaulting Borrower Companies) की वसूली दर को अब केवल मूल राशकि 15-20% तक देय कर दयिा गया है।
- हालाँकि रज़िर्व बैंक ऑफ इंडयिा (आरबीआई) द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं को और अधकि ऋण प्राप्त करने से रोकने हेतु ब्लैक-लस्टि करने के संबंध में दशि‌ा-नर्दिेश जारी करने का कोई प्रयास कयिा गया है।
- और न ही आरबीआई द्वारा इस संबंध में बैंकों को उनके प्रबंधन को संकल्प प्रक्रयिा के दौरान बहुसंख्य इक्वटिी हस्सिेदारी को बरकरार रखने से रोकने के संदर्भ में ही कोई प्रयास कयिा गया है।
- इसका नतीजा यह हुआ है कि बैंकों को लगातार प्रत्येक तमिाही में घाटे की स्थति का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा छह पीएसबी को पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई के तहत शामलि कयिा जा चुका है।
- यहाँ तक कि जून 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक की गैर-नष्पिादति संपत्तयिों की कीमत भी तकरीबन ₹ 1,88,068 आँकी गई है। स्पष्ट रूप से यह गंभीर चति का वषिय है।

बैंकों में जमा धनराशि भी जोखमि की स्थति में है

- फाइनेंशयिल स्टेबलिटिी बोर्ड (Financial Stability Board - FSB) की अगस्त 2016 की पीयर रवि्यू रपिोर्ट के मुताबकि, बैंकगि प्रणाली के भीतर 63% वत्तिीय नविश आम भारतीयों का है, पीएसबी की बाज़ार हस्सिेदारी 63% है, जबकि नजिी बैंक की 18% भाग पर नयिंत्रण है।
- अधकिांश सार्वजनकि बैंकों की अस्थरि वत्तिीय स्थति को देखते हुए, इन बैंकों में जमा धनराशयिाँ भी अत्यधकि जोखमि की स्थति में हैं।
- हालाँकि इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी स्थति यह हो सकती है कि यहाँ एक सरकारी बेल-आउट मौजूद हो।
- अन्य संभावनाएँ यह भी हो सकती हैं कि इन सभी परसिंपत्तयिों और देनदारयिों का स्थानांतरण एक ब्रजि सेवा प्रदाता के द्वारा कयिा जाए अथवा कसिी मौजूदा बैंक के साथ वलिय या परसिमापन कर दयिा जाए। परंतु, इसके बावजूद इनमें से कोई भी वकिल्प ग्राहक के पैसे की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।

एफ.आर.डी.आई. वधियक, 2017

- इस संबंध में अधकि चति का कारण एफ.आर.डी.आई. वधियक [Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill], 2017 है। कैबनिेट की मंज़ूरी के बाद अगस्त में एक संयुक्त संसदीय समति द्वारा इस वधियक का प्रस्ताव पेश कयिा गया था।
- इस वधियक के अंतर्गत बैंकों और बीमा जैसे व्यवसायों में दवालयिापन को शामलि कयिा गया है।
- इस वधियक में वत्तिीय रज़िॉल्यूशन के अंतर्गत पूंजी और परसिंपत्त मूल्य के आधार पर व्यवहार्यता आधारति 'भौतकि' अथवा 'आसन्न' जोखमि जैसी स्थतियिों का सामना कर रहे बैंकों के कयि‌े समाधान को भी शामलि कयिा गया हैं।
- इस वधियक में 'बेल-इन' के प्रावधान का भी परचिय दयिा गया है, जसिका उद्देश्य बैंक के नुकसान को अवशोषति करने और इसके अस्तत्वि को सुनश्चिति करने के लयि‌े पूंजी प्रदान करना है।
- यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ अस्तत्वि का मतलब जमाकर्त्ताओं के पैसे की सुरक्षा नहीं है, बल्कि बैंक की पूंजी को बहाल करना है।
- 'बेल-इन' का प्रावधान प्रस्तावति संकल्प नगिम (Resolution Corporation) को बैंक द्वारा देय दायत्वि को रद्द करने या कसिी अन्य सुरक्षा के मौजूदा दायत्वि के रूप को परविर्तति करने का भी अधकिार प्रदान करता है।
- हम सभी जानते हैं कि बचित या फक्सि्ड डपिॉजटि अकाउंट में जमा पैसा बैंक द्वारा अपने ग्राहक के लयि‌े देय होता है। जब भी ग्राहक द्वारा इस धन की वापसी की मांग की जाती है तब बैंक को ग्राहक को इस दे राशि का भुगतान करना पड़ता है। चूँकि ग्राहक बैंक को अपना पैसा सौंपते समय बैंक से कोई सुरक्षा नहीं लेता है, तो कानूनी तौर प ग्राहक बैंक का असुरक्षति लेनदार बन जाता है।

- 'बेल-इन' के तहत बैंक सरलता से ग्राहक के पैसे का पुनर्भुगतान करने से या तो मना कर देता है या इसके बजाय वरीयता शेयरों यानि प्रेफरेंस शेयरों (निश्चित लाभांश की कोई गारंटी नहीं) के रूप में ग्राहक को प्रतिभूतियाँ जारी करता है। यह सब ग्राहक द्वारा की गई जमाराशियों के बदले किया जाता है, क्योंकि इन सभी जमाराशियों का बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिये उपयोग किया जाता है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल जमाकर्त्ताओं के बकाया धन को इसके तहत ज़ब्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह इंश्योरेंस द्वारा कवर की गई डिपाजिट राशि होती है।
- ध्यातव्य है कि प्रत्येक जमाकर्त्ता के लिये एक लाख रुपए की जमाराशि को बीमाकृत करने संबंधी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act), 1961 को कैबिनेट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
- एफ.आर.डी.आई. विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्त्ता हेतु बीमा राशि तय करने के संबंध में संकल्प निगम को पहले की अपेक्षा और भी अधिक सक्षम बना दिया गया है।
- इस प्रकार यह संभव है कि अलग-अलग बैंकों के ग्राहकों के लिये केवल बीमा राशि ही भिन्न नहीं होगी बल्कि एक ही बैंक के विभिन्न ग्राहकों के लिये भी यह अलग-अलग हो सकती है।

सुरक्षा संबंधी पक्ष

- 'बेल-इन' के प्रावधानों ने ग्राहक और बैंक के बीच संबंधों की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब ग्राहक का धन बैंकों में कोई खास सुरक्षित नहीं रह गया है। अब स्थिति यह है कि ग्राहक का खाता अपनी संप्रभु गारंटी भी खो सकता है और एक निवेश भी बन सकता है।
- वस्तुतः वर्तमान की बैंकिंग स्थिति में तीन पक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण हैं- इनमें पहला है वृहद शेयरधारक के रूप में सरकार और कॉर्पोरेट उधारकर्त्ता तथा ग्राहक। इनमें सबसे कमज़ोर स्थिति में बेचारा ग्राहक ही प्रतीत होता जान पड़ता है क्योंकि अंततः सबसे अधिक नुकसान उसका ही होता है।

निष्कर्ष

वास्तविकता यह है कि यदि ग्राहक ही बैंक में अपना पैसा जमा नहीं करें तो कोई भी बैंक अपने व्यवसाय को जारी नहीं रख सकता है। यहाँ इस बात को विशेष रूप से समझ लेने की आवश्यकता है कि बैंकिंग व्यवसाय दूसरे अन्य व्यवसायों के समान नहीं है। अत: एक बैंक ग्राहक के साथ किसी नियमित व्यापार के असुरक्षित लेनदार के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। किसी भी विक्रेता या किसी कंपनी के साथ काम करने वाले निवेशक के विपरीत ग्राहक किसी बैंक के उधार संबंधी फैसले पर नियंत्रण नहीं करता है। यही कारण है कि किसी नियमित व्यापार के दिवालियापन के नियमों को बैंक की विफलताओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि अपने नागरिकों हेतु न्याय एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाने चाहिये। साथ ही इस क्रम में सरकार द्वारा 'बेल-इन' प्रावधान पर एफ.एस.बी. के आदेश का विरोध किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/banking-on-legislation